



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1876]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2011/आश्विन 8, 1933

No. 1876]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2011/ASVINA 8, 1933

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2011

का.आ. 2265(अ).—केन्द्रीय सरकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की अनुसूची 1 के पैरा 1 के उप-पैरा (ix) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकारों के परामर्श से, राज्य सरकार की स्कीमों में निम्नलिखित कार्य को सम्मिलित किए जाने के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

भारत सरकार के पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के पूर्ण स्वच्छता अभियान के अनुरूप तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों या अनुदेशों के अनुसार स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच ।

[सं. जे-11017/41/2011-एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए.]

डी. के. जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2011

S.O. 2265(E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (ix) of Paragraph 1 of the Schedule 1 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), the Central Government, in consultation with the State Governments, hereby notifies the following work to be included in the Schemes of the State Government, namely :—

Access to sanitation facilities in convergence with the Total Sanitation Campaign of the Ministry of Drinking

Water and Sanitation in the Government of India and in accordance with the guidelines or instructions issued by the Central Government from time to time.

[No. J-11017/41/2011-MGNREGA]

D. K. JAIN, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2011

का.आ. 2266(अ).—केन्द्रीय सरकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. उक्त अनुसूची में, पैरा 7 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा; अर्थात् :-

“7. स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच से संबंधित उन कार्यों से भिन्न, जिनके लिए कार्य के लिए आवेदन कम से कम छह दिन के निरंतर कार्य का होना चाहिए, कार्य के लिए आवेदन कम से कम चौदह दिनों के निरंतर कार्य के लिए होना चाहिए।” ।

[सं. जे-11017/41/2011-एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए.]

डी. के. जैन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की अनुसूची 2 का निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधन किया गया :-

1. का.आ. 324(अ), तारीख 6 मार्च, 2007
2. का.आ. 802(अ), तारीख 2 अप्रैल, 2008

3. का.आ. 2188(अ), तारीख 11 सितम्बर, 2008
4. का.आ. 2999(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 2008
5. का.आ. 513(अ), तारीख 19 फरवरी, 2009

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2011

S.O. 2266(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), the Central Government, on being satisfied that it is necessary and expedient to do so, hereby makes the following further amendments in the Schedule II to the said Act, namely :—

2. In the said Schedule, for paragraph 7, the following paragraph shall be substituted, namely :—

“7. Application for work must be for at least fourteen days of continuous work, other than the works relating to access to sanitation facilities, for which application for work must be for at least six days of continuous work.”.

[No. J-11017/41/2011-MGNREGA]

D. K. JAIN, Jt. Secy.

Note : Schedule II of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005) has been amended *vide* following Notification Numbers :

1. S.O. 324(E), dated the 6th March, 2007
2. S.O. 802(E), dated the 2nd April, 2008
3. S.O. 2188(E), dated the 11th September, 2008
4. S.O. 2999(E), dated the 31st December, 2008
5. S.O. 513(E), dated the 19th February, 2009